संख्या- 195/2015/2224/71-1-2015-जी-337/2012

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 दिसम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन कम्पयूटरीकरण में उपकरणों के टैक्स की लम्बित देयता का भुगतान किए जाने हेतु प्रशासाकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/पर्चेज/2015-16/387, दिनॉक 01-10-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-506/71-1-2013-जी-337/2012, दिनॉक 31-03-2013 के द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन कम्पयूटरीकरण हेतु रू0 48,82,500/- की धनराशि स्वीकृत करते हुए श्रीट्रान इण्डिया लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/156, दिनॉक 19-06-2015 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि श्रीट्रान इण्डिया को सर्विस टैक्स एवं वैट की धनराशि रू0 3,15,260/- के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाय।

3- अत: आपके उक्त पत्र दिनॉक 19-06-2015 तथा पत्र दिनॉक 01-10-2015 में वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन कम्पयूटरीकरण हेतु उपकरणों के टैक्स की लम्बित देयता का भुगतान किए जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 3,15,260/- (रू0 तीन लाख पन्द्रह हजार दो सौ साठ) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- टैक्स देयता की गणना का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 को होगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या:-195/2015/2224(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- प्रबन्घ निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान काम्प्लेक्स, गोमती नगर बैराज के नजदीक, गोमती नगर, लखनऊ-226010
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।